वर्त्तमान सरकार ने द्वाबारा पदभार ग्रहण करने के बाद सुशासन के कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यको के कल्याणार्थ निम्न कार्यक्रम्र की धोषणा की:–

1. राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी।
2. राज्य में कब्रिस्तान घेराबंदी के अंतर्गत बचे हुए कब्रिस्तानों की घेराबंदी समयबद्ध ढंग से करायी जाएगी।
3. अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत एक स्वतंत्र निदेशालय बनाया जाएगा।
4. अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी आबादी के अनुरूप विभिन्न योजना मद में धनराशि ''स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान'' के रूप में कर्णांकित की जाएगी।
5. उर्दू पत्र–पत्रिकाओं के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाएगी।
6. बुनकरों के कल्याणार्थ हर बड़ी बुनकर आबादी में एक औद्योगिक हब बनाया जाएगा, जहाँ ऋण और अन्य आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करायी जाएंगी।
7. वक्फ बोर्ड के प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा तथा वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
8. सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापन किया जाएगा।
9. मदरसा शिक्षा की उच्चतर गुणवत्ता हेतु इसे आधुनिक तकनीकी और कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ा जाएगा।
10. मदरसा शिक्षा से जुड़े शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मी और आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएंगे।
11. प्राथमिक और मध्य–विद्यालयों में बंगला भाषी विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप बंगला भाषी शिक्षकों का पदस्थापन करने का प्रयास किया जाएगा।
12. ''**तालिमी मरकज**'', ''**हुनर**'' और ''**औजार**'' जैसे कार्यक्रम जो कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को शिक्षा और कौशल विकास प्रदत्त करने के लिए चलाये जा रहे हैं, का विस्तार किया जाएगा।
13. मजहरुलहक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय को जमीन और भवन की सुविधा प्रदान कर इसकी गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा।
14. राज्य सरकार की अल्पसंख्यक कोचिंग योजना के लिए मजहरुलहक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय को नोडल एजेंसी नियुक्त कर अधिक से अधिक संख्या में अल्पसंख्यक युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
15. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बिहार शाखा को शीघ्र चालू कराने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
16. बीड़ी मजदूर बाहुल्य क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा दिया जाएगा तथा उन्हें ऋण और आवास निर्माण की सहायता प्रदान की जाएगी।
17. बिहार राज्य धुनिया, रंगरेज, दरजी, कोऑपरेटिव फेडरेशन को सुदृढ़ बनाकर इन पेशों से जुड़े लोगों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
18. अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को विभिन्न स्रोतों से सरकारी सहायता प्राप्त करने की पात्रता हेतु आवश्यक अल्पसंख्यक संस्था होने का प्रमाणपत्र देने हेतु नियमावली बनायी जाएगी तथा यह कार्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सौंपा जाएगा।
19. बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से अल्पसंख्यक युवाओं के स्वरोजगार एवं अपना कारोबार आरंभ करने के लिए ''**मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना**।'' तथा अल्पसंख्यक छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता

देने हेतु **''मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना''** प्रारंभ की जाएगी।

20. अल्पसंख्यक छात्रावासों में आधुनिक सुविधाएं जैसे कम्प्यूटर, इण्टरनेट, ध्वनिरहित जेनरेटर आदि उपलब्ध कराया जाएगा ताकि छात्र आधुनिक परिवेश में पढ़ाई कर सकें। इन छात्रावासों में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। प्रत्येक अल्पसंख्यक छात्रवास के परिसर में ही छात्रावास अधीक्षक के आवास का निर्माण किया जाएगा। अल्पसंख्यक छात्रावासों की मरम्मत एवं रख–रखाव तथा आवर्ती व्यय के लिए विभागीय बजट से राशि आवंटित की जाएगी तथा छात्रावासों की देखभाल हेतु आवश्यक पद सृजित किये जाएंगे।

21. बिहार राज्य हज समिति का वार्षिक अनुदान बढ़ाकर 40 लाख रुपये किये जाएंगे ताकि हज समिति के माध्यम से हाजियों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा सके।

22. परित्यक्ता अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए चलायी जा रही सहायता योजना को स्वयं सहायता समूहों के साथ जोड़ा जाएगा ताकि लाभान्वित महिलाएँ प्राप्त राशि से स्वरोजगार कर सके।

23. सूफी परम्परा से जुड़े स्थलों और अल्पसंख्यक समुदाय के पुस्तकालयों के रख–रखाव और सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।